दिनांक	आज्ञा पत्र
21-10-19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। आवेदकगणों का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के प्रावधानों में नहीं होने के कारण विधिक आपत्ति स्वीकार की जाकर आवेदन पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 15/2018/251–ए आरटीए

नेमीचंद आदि बनाम **सरस्वती देवी आदि**

विधिक आपत्ति

उपस्थिति–

1. श्री राजेश माथुर वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
2. श्री किशोर सिंह मील वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय विधिक आपत्ति

दिनांक– 21.10.2019

01. वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना–पत्र पेश किया है उसको सारगर्भित पढने पर यह आभास होता है कि प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी के कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि में मौके पर रास्ता मौजूद बताकर आवेदक को यथास्थिति से पाबन्ध करवाना चाहता है नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करना नही चाहता है। अनुतोष में कहीं पर भी धारा 251 (ए) आरटीएक्ट के तहत नया रास्ता कायम किये जाने का उल्लेख स्पष्ट नहीं है इसी अधार पर प्रथमतः ही प्रार्थी का मूल आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। यदि प्रार्थी के आवेदन को धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के तहत माना जावे तो आवेदक ने अपने आवेदन के किसी भी पैराग्राफ में यह उल्लेख नही किया कि उसने आवेदक से नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्शाने के लिए निवेदन किया हो और रास्ते के संबंध में मूल्य अदा किये जाने की अपनी इच्छा दर्शायी हो और दोनों पक्षकारों में परस्परिक सहमति नहीं हुयी हो। धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 1 के खण्ड (ख) अनुसार मामला पारपरिक सहमति से तय नहीं होने की सूरत में ही आवेदन किया जा सकता है। इसलिए बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही आवेदन प्रार्थी की ओर से पेश किया गया है जो इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। आवेदकगण ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.84 हैक्टेयर को काश्त किये जाने के लिए उक्त आवेदन पेश किया है किन्तु खसरा नम्बर 331 जो प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य पडता है में से कोई रास्तें की मांग नहीं की गयी है। उक्त खसरा नम्बर 331 में प्रार्थी नेमीचन्द के साथ ही दो अन्य खातेदार भी है, उन तीनो के मध्य उक्त खसरा भूमि का कोई बंटवारा नहीं हुआ है कानूनन जब तक खसरा नम्बर 331 का विधि अनुसार बंटवारा नहीं हो जाता तब तक यह तय नहीं है कि प्रार्थी नेमीचन्द उक्त कृषि भूमि के कोनसे हिस्से में खातेदार काश्तकार रहेंगे और उसके व अप्रार्थी की कृषि के मख्य कितने नये खसरा नम्बर नये निर्मित होगे व मध्य के खातेदारों की भूमि में से कितने मीटर का रास्ता कायम होगा। प्रार्थी नेमीचन्द कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 के कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर में से मात्र 0.0168 हैक्टेयर जो मात्र आवासीय प्लोट जितना है का ही खातेदार है इसलिए जब तक प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि भूमियों के मध्य अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.76 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाउड्स बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत करने का ना तो अधिकार उत्पन्न होता है और ना ही वास्तविक व व्यवहारिक रूप से अप्रार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता दिया जा सकता

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

है। अतः विधिक आपत्ति स्वीकार की जाकर इसी स्तर पर प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

02. आवेदन विधिक आपत्ति पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.84 हैक्टेर जो कि प्रार्थी की भूमि है जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 331 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से नेमीचन्द ने 0.0168 हैक्टेयर जमीन कैलाश चन्द से रास्ते हेतु खरीद की थी। सरस्वती देवी व नेमीचन्द के मध्य उक्त भूमि में आने जाने के लिए इकरारनामा हुआ था तथा रास्ता कायम किया गया था, जो आज भी कायम है इसलिए आवेदन आधार हीन है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन को विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

03. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान आवेदन आपति के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनकी और से प्रस्तुत विधिक आपत्ति में दर्ज कथनों के अनुसार ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अ.धारा 251 (ए) आरटीए खारिज किया जावे। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण ने आवेदन आपत्ति के जवाब तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में उत्तर दिशा में रास्ता है। जिसका इकरारनामा संलग्न है। महज आवेदन को गलत रूप से न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए व प्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। **उक्त विधिक आपत्ति में मूल प्रश्न यह है कि प्रार्थी का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानों के तहत आता है या नहीं?** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार "अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या अपनी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या ऐसी अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे।"

आवेदकगण का प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में अंकित किया गया है कि "उक्त आम रास्ता नेशनल हाइवे सं. 11 से खसरा नम्बर 947/318 की दक्षिणी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 331 रकबा 0.78 हैक्टेयर के मध्य बीचों बीच होता हुआ आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.89 हैक्टेयर तक मौके पर वर्षों पुराना 5 मीटर यानि 16 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिए कटा हुआ है।" इसी प्रकार आवेदन पत्र की मद संख्या 5 में अंकित किया गया है कि "दिनांक 10.04.2013 को खसरा सं. 947/318 रकबा 0.44 हैक्टेयर की खातेदार, काश्तकार अनावेदिका सं. 1 ने अपनी भूमि की उत्तरी सीमा के पास से रास्ते का अवरूद्ध कर दिया है। जिससे कोई भी वाहन नहीं आ सकता है। आवेदकगणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः रास्ते को पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned with CamScanner

की भांति यथावत रूप से चालू किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है।" आवेदकगणों ने अपने आवेदन पत्र के अनुतोष के पैरा में अंकित किया है कि "नेशनल हाइवे सं. 11 से खसरा नम्बर 947/318 की दक्षिणी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 331 रकबा 0.78 हैक्टेयर के मध्य बीचों बीच होता हुआ, आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.89 हैक्टेयर तक मौके पर वर्षों पुराना 5 मीटर यानि 16 फीट चौड़ा आम रास्ते को आवागमन के लिए यथावत बनाया रखा जावे। नींव, सींव कायम की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।"

आवेदन पत्र में अंकित उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अभिधारियों द्वारा न तो नया मार्ग बनाने की मांग की है तथा न ही वर्तमान में विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने की मांग की है। आवेदकगणों ने पूर्व में चालू रास्ते में अवरोध को हटाकर पूर्व की भांति यथावत रास्ता कायम करने की मांग की है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए का प्रकरण नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत सुखाचार की श्रेणी में आता है। जिस पर सुनवाई करने का अधिकार तहसीलदार, धोद को है। अतः आवेदकगणों का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानों में नहीं होने के कारण विधिक आपत्ति स्वीकार की जाकर आवेदन पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.14 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: